

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)**

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
103/16	188A14	चण्डारपुर	2008
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
प्रतिवादी	बनाम	प्रतिवादी	

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
31/8/16	वकीलवादी द्वारा एक पत्र अंतर्गत धारा 188A14 विस्तृत प्रतिवादी के पत्राचार में भेजा किया रिपोर्ट के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी के द्वारा दर्ज रजिस्ट्रार के अंतर्गत प्रतिवादी गण सलब कर प्रस्ताव दिनांक 28/9/16 को भेजा है।	
28/9/16	उपखण्ड अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पूर्ववत स्थिति में दिनांक 9-11-16 को भेजा है।	1 तो 3 वाद के
4/11/16	उपखण्ड अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पूर्ववत स्थिति में दिनांक 4/11/17 को भेजा है।	
4/11/17	उपखण्ड अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पूर्ववत स्थिति में दिनांक 15/11/17 को भेजा है।	
19/4/17	उपखण्ड अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पूर्ववत स्थिति में दिनांक 31/5/17 को भेजा है।	
2/5/17	उपखण्ड अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पूर्ववत स्थिति में दिनांक 6/8/17 को भेजा है।	
16/5/17	उपखण्ड अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पूर्ववत स्थिति में दिनांक 7/6/17 को भेजा है।	

वकील श्री वी. ए. शर्मा / पत्राचार  
राजस्थान लोक अदालत / केम्प कोर्ट  
मुकाम: मुंबई नगर बाजार  
दिनांक 6/8/17


उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

विविध

कार्यवाही एवं आदेश


विविध संदर्भ

आज पीठासीन अधिकारी के ~~अनुपस्थिति में~~ <sup>अनुपस्थिति में</sup> ~~अनुपस्थिति में~~  
अवस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में  
दिनांक 25.01.23 को पेश हो।

  
रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

25<sup>01</sup>23

पत्रावली पेश हुई / कहुलार प्ररीनेत अनुपस्थित।  
तीक वार आवान पुकरवापी गपी कोई उपस्थित  
नही। पत्रावली अफ हाजिरी / अफ परकी खारेज की  
जाते हैं / पत्रावली ईशाल शुभार होकर साखिल उपर हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)